उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–1
सं0–सं0वि0क0नि0–1–438 / 11–2014–1035(70) / 1993टी0सी0
लखनऊ:: दिनांक:: 07 मार्च, 2014

कार्यालय–ज्ञाप
(ज्येष्ठता संशोधन में आपत्ति हेतु)

असिस्टेट कमिश्नर, वाणिज्य कर की सीधीभर्ती 1985 बैच के अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 02–7–1997 द्वारा निर्गत की गयी थी, जिसमें ज्येष्ठता क्रमाक–998 से 1017 पर उल्लिखित अधिकारियों की ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची के अनुसार ही निर्धारित है। लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची के क्रमांक–45 पर श्री विजय नन्दन सिन्हा का नाम है और उनकी ज्येष्ठता क्रमांक–1017 पर है। श्री विजय नन्दन सिन्हा के पश्चात् जिन अधिकारियों की जो ज्येष्ठता, ज्येष्ठता सूची दिनॉक 02–7–97 में निर्धारित है, उसमें कुछ की ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची के अनुसार नहीं है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क0 सं0	अधिकारी का नाम सर्वश्री–	लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में क्रमांक	असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	ज्येष्ठता क्रमांक 02 जुलाई, 1997 के अनुसार
1	2	3		4
1.	अवनीन्द्र कुमार राय	47	07–12–88	इनकी ज्येष्ठता पूर्व ज्येष्ठता सूची में 1027 थी, जिसे लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची के आधार पर शासन के आदेश दिनॉक 23–9–10 द्वारा संशोधित कर 1017ए की गयी है।
2.	राम किशोर सिंह	48	05–11–89	1029
3.	अखिल बिहारी	49	31–12–98	1028
4.	कामता प्रसाद	64	30–12–88	1033 (31–11–08 को से0नि0)
5.	जितेन्द्र सिंह	106	23–10–92	1033–ए(30–6–13 को से0नि0)
6.	नारायण कुमार अग्रवाल	112	01–11–87	1018
7.	संतोष कुमार श्रीवास्तव	115	5–11–88	1031
8.	सुभाष चन्द्र राम	116	29–3–88	1019
9.	मेवालाल	119	02–5–89	1030
10.	महाबीर प्रसाद	120	01–12–87	1020
11.	बृजपाल सिंह	121	07–12–87	1021

12.	रामबली	127	22–2–88	1022
13.	राजाराम	129	31–3–88	1023
14.	मुन्नी लाल	130	3–11–87	1024
15.	कृष्ण प्रसाद शुक्ला	142	21–11–87	1025
16.	कै0 यादवेन्द्र सिंह	152	20–4–89	1026

2. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमवली, 1991 के प्राविधानानुसार किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधीभर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दर्शायी गयी है। उक्त व्यवस्था के अनुसार सीधीभर्ती, 1985 के उक्त तालिका के कतिपय असिस्टेंट कमिश्नर्स की ज्येष्ठता, ज्येष्ठता सूची दिनॉक 02–7–97 में लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची के आधार पर नहीं है।

3. अतः सीधीभर्ती, 1985 के जिन अधिकारियों की ज्येष्ठता, ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची के अनुसार निम्न प्रकार से संशोधन किया जाना प्रस्तावित है:–

क0 सं0	अधिकारी का नाम सर्वश्री–	लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में कमांक	ज्येष्ठता कमांक 02 जुलाई, 1997 के अनुसार
1	2	3	4
2	अवनीन्द्र कुमार राय	47	इनकी ज्येष्ठता पूर्व ज्येष्ठता सूची में 1027 थी, जिसे लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची के आधार पर शासन के आदेश दिनॉक 23–9–10 द्वारा संशोधित कर 1017ए की गयी है।
3	राम किशोर सिंह	48	1029 के स्थान 1017बी पर होना चाहिए।
4	अखिल बिहारी	49	1028 के स्थान पर 1017सी होना चाहिए।
	कामता प्रसाद	64	1033 के स्थान पर 1017 डी पर होना चाहिए।
	जितेन्द्र सिंह	106	1033ए के स्थान पर 1017ई पर होना चाहिए।
5	नारायण कुमार अग्रवाल	112	1018
6	संतोष कुमार श्रीवास्तव	115	1031 के स्थान पर 1018ए पर होना चाहिए।
7	सुभाष चन्द्र राम	116	1019
8	मेवालाल	119	1030 के स्थान पर 1019ए पर होना चाहिए।
9	महाबीर प्रसाद	120	1020
10	बृजपाल सिंह	121	1021
11	रामबली	127	1022

12	राजाराम	129	1023
13	मुन्नी लाल	130	1024
14	कृष्ण प्रसाद शुक्ला	142	1025
15	कै0 यादवेन्द्र सिंह	152	1026

4. यदि कोई अधिकारी उक्तानुसार ज्येष्ठता संशोधन से संतुष्ट न हो या किसी प्रकार की आपत्ति रखता हो तो अपनी आपत्ति दिनॉक 20 मार्च, 2014 तक कमिश्नर, वाणिज्य कर के माध्यम से अथवा सीधे शासन को प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्याः--सं0वि0क0नि0--1--430 (1)/11--2014, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह कृपया उपरोक्तानुसार संशोधन किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों की आपत्ति प्राप्त करने हेतु विभागीय बेबसाइड पर डालकर उनकी प्राप्त आपत्तियों एवं उसके निराकरण हेतु आख्या सहित प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
2. संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर।
3. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(धीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अनु सचिव।

पृ0 पत्र संख्या-स्था-1-असि0कमि0-ज्येष्ठता पार्ट-4-13-14// 7118 //वा0क0

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 11 -मार्च- 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अनु सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ,वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को उक्त पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जोन में तैनात सूची में अंकित अधिकारियों पर पत्र तामील कराकर तामीलीशुदा / दिनॉक युक्त प्रति लौटती डाक के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें साथ ही उक्त सूची में अंकित जो अधिकारी जोन से सेवानिवृत्त हो गये हैं उन अधिकारियों पर भी पत्र की तामीली उनके निवास के पते पर तामील कराते हुए मुख्यालय अवगत कराने का कष्ट करें साथ ही शासन द्वारा निर्धारित तिथि के अन्दर प्राप्त आपत्तियों को विशेष वाहक के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें।

3- ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

4- उक्त सूची में अंकित सम्बन्धित समस्त अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि विभागीय वेबवाईट से सूची प्राप्त कर अपनी आपत्तियॉ तत्काल मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें।

(विनोद कुमार सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।